



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032025-261838
CG-DL-E-21032025-261838

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1346]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946

No. 1346]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2025

का.आ. 1364(अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उपधारा (9) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 8 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व इस निमित्त सलाहकार समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात्, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की तारीख 26 जून, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2119 (अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 26 जून, 2020 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में,-

(i) खंड (i) में,-

(क) "एक करोड़" शब्दों के स्थान पर "दो करोड़ पचास लाख" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "पांच करोड़" शब्दों के स्थान पर "दस करोड़" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ii) में,-

(क) "दस करोड़" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस करोड़" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "पचास करोड़" शब्दों के स्थान पर "एक सौ करोड़" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (iii) में,-

(क) “पचास करोड़” शब्दों के स्थान पर “एक सौ पच्चीस करोड़” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “दो सौ पचास करोड़” शब्दों के स्थान पर “पांच सौ करोड़” शब्द रखे जाएंगे;

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. पी-11/3/2023-नीति-डीसीएमएसएमई]

डॉ. रजनीश, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 2119 (अ), तारीख 26 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2025

S.O. 1364(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (9) of section 7 and sub-section (2) read with sub-section (3) of section 8 of the ‘Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)’, the Central Government after obtaining the recommendations of the Advisory Committee in this behalf hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 2119 (E), dated the 26th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), dated the 26th June, 2020, namely:-

1. In the said notification in paragraph 1,—

(i) in clause (i),-

(a) for the words “one crore”, the words “ two crore and fifty lakh” shall be substituted;

(b) for the words “five crore”, the words “ten crore” shall be substituted;

(ii) in clause (ii),-

(a) for the words “ten crore”, the words “twenty five crore” shall be substituted;

(b) for the words “fifty crore”, the words “one hundred crore” shall be substituted;

(iii) in clause (iii),-

(a) for the words “fifty crore”, the words “one hundred twenty five crore”, shall be substituted;

(b) for the words “two hundred and fifty crore”, the words “five hundred crore” shall be substituted;

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.

[F. No. P-11/3/2023-POLICY-DCMSME]

Dr. RAJNEESH, Addl. Secy. & Development Commissioner

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2119(E), dated the 26th June, 2020.